# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

**अपील/एलआर /1874/2004/बून्दी**

1– मोती पुत्र कालू
2– प्रभु पुत्र रतिराम
3– गोपाल पुत्र कालू
4– हरपाल पुत्र मोती
समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम लीलदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5– रोडू पुत्र हजारा जाति मीना ग्राम मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

**–अपीलांट्स**

**बनाम**

1– सुन्दरा पुत्र किशना जाति मीना निवासी ग्राम लीलदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2– राजस्थान सरकार।

**–रेस्पोडेण्ट्स**

**एकलपीठ**
**डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**उपस्थितः–**
1. श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री पवन सिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक– 26–5–2025

हस्तगत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 137/99 में पारित निर्णय दिनांक 4–2–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बून्दी के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 (4) के तहत् रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जगमून्दा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नंबर 349 रकबा 5 बीघा का रेस्पोडेंट को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11–9–1998 द्वारा प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–1998 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–2–2004 द्वारा अपीलांट्स

द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–1998 को यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2004 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से सात दिवस में लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। उनके द्वारा सात दिवस में कोई लिखित बहस पेश नहीं की।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि खसरा नंबर 349 पर अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 349 न तो आवंटन के लिए खाली था और न ही खसरा नंबर 349 का आवंटन किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा परिवर्तनशील संवत् 2042, 2040, 2041, 2044, 2043 की नकले पेश की, इनसे पूर्णतया साबित है कि खसरा नंबर 349 पर अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि आवंटन आदेश में खसरा नंबर 349 के स्थान पर 347 त्रुटिवश होना प्रतीत होता है। जबकि रेस्पोडेंट को खसरा नंबर 349 का कभी भी आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2004 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–1998 निरस्त किये जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जावे।

5. हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष ग्राम जगमून्दा तहसील नैंनवा जिला बूंदी में स्थित भूमि खसरा नंबर 349 रकबा 10 बीघा बाबत आवेदन किया था किन्तु उसके नाम पर खसरा नंबर 347 रकबा 5 बीघा

का आवंटन किया गया। खसरा नंबर 349 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा पर अपीलाण्ट 40 वर्षो से काबिज है किन्तु आवंटन आदेश दिनांक 19–5–89 से सुन्दरा आ0 किशना मीणा के नाम पर खसरा नंबर 347 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन होना पाया गया। अपीलाण्ट विवादित खसरा नंबर 349 रकबा 5 बीघा को अपने नाम नियमन कराने के अधिकारी है। अतः खसरा नंबर 349/4 रकबा 5 बीघा पर से रेस्पोडेण्ट की गैर खातेदारी को निरस्त कर अपीलाण्ट के नाम भूमि दर्ज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खसरा नंबर 349 रकबा 10 बीघा बाबत है किन्तु त्रुटिवश पटवारी रिपोर्ट में खसरा नंबर 347 अंकित है किन्तु आवंटन आदेश में खसरा नंबर 349 है। दखलनामा दिनांक 22–5–89 के अनुसार भी विवादित आराजी खसरा नंबर 349 रकबा 5 बिस्वा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 में रेस्पोडेण्ट का नाम खसरा नंबर 349 रकबा 5 बिस्वा दर्ज है। जबकि पत्रावली पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलाण्ट के नाम नोटिस दिया गया है। उसमें खसरा नंबर 349 का अंकन है। इसका तात्पर्य यह है कि अपीलाण्ट की स्थिति उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की है, जिसके द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) के अधीन आवंटन निरस्त किए जाने संबंधी कारणों में किसी भी कारण से समर्थित नहीं होता है और अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के आवंटन निरस्त कराने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है। विचारण न्यायालय ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर अपीलाण्ट के आवंटन को बहाल रखा है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह आवंटन किया गया है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा किसी फर्जी तथ्यों के आधार पर आवंटन प्राप्त नहीं किया गया है। किसी भी आवंटन को नियम 14 (4) के तहत तभी निरस्त किया जा सकता है जब उसके द्वारा आवंटन की शर्ते पूरी न की गई हो। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि अपीलाण्ट द्वारा आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो। इस संबंध में इन नियमों के नियम 14 (4) में निम्न प्रावधान है–

**14- Conditions of Allotment-**

"(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

इस संबंध में आर.बी.जे. 2006(13) पृष्ठ 749 के निर्णय के Para 6 (8) में यह भी मत व्यक्त किया है कि–

"Hon'ble High Court has decided a principle that allotment obtained through fraud, misrepresentation and concealment of fact can be cancelled at any time even if khatedari rights have been obtained. This authority of Hon,ble High Court as reported in RRD 2002 page 01 is directly relevant in this case because this is a clear cut case of fraud and misrepresentation and concealment of facts and surprisingly this fraud is continuing even today and the respondent has failed to give his address even at the level of Board of Revenue."

7. उक्त प्रावधानों के अनुसार ऐसा आवंटन, जो कपट से अथवा तथ्य छुपाकर दुर्व्यपदेशन से अथवा नियम विरूद्ध प्राप्त किया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उलंघन किया गया हो, को जिला कलेक्टर निरस्त करने हेतु सक्षम है। प्रश्नगत आवंटन आवंटी को तथ्य छुपाकर दुर्व्यपदेशन से नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) खारिज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत मानकर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानकर अपील खारिज की है। ऐसे विधिसम्मत समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8. उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य